गोमाराम बनाम धीमा वगै.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	दावा मुकदमा - 72/2018	
20.9.21	...पेश हुई । वकुलाय फरीक ...उपस्थित । पीठासीन अधिकारी ...अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग ... । पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 8-10-21 को पेश हो ।	
08.10.2021	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान– 2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत– नांगल भीम के राजकीय माध्यमिक विधालय के प्रांगण में पेश हुई। वकील वादी मय वादी व प्रतिवादी संख्या 1 पक्षकार मौके पर उपस्थित आये। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की पहचान मौके पर उपस्थित सरपंच ग्राम पंचायत नांगल भीम के द्वारा की गई। प्रकरण में उपस्थित वादी व प्रतिवादी नं. 1 ने एवं वकील वादी ने आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय मेरे द्वारा पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
गोमाराम धीमाराम गोमा राम व धीमाराम को पहचाना (महेन्द्र कुमार) सरपंच ग्राम पंचायत नांगल भीम पं. स. श्रीमाधोपुर (सीकर)	(दिलीप सिंह) 08/10/21 उपखण्ड अधिकारी दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर श्रीमाधोपुर (सीकर) कैम्पः– नांगल भीम	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.20 18:05:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
72 / 2018	2018 / 247	09.08.2018	08.10.2021

उनवान

1. गोमाराम पुत्र मुरलीराम जाति जाट उम्र–70 वर्ष, निवासी ढ़ाणी मतल्डी तन् ग्राम नांगल भीम तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

वादी

बनाम

1. घीसा दत्तक पुत्र सुरजा उम्र–60 वर्ष जाति जाट निवासी ढ़ाणी मतल्डी तन् ग्राम नांगल भीम तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
2. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

प्रतिवादीगण

उपस्थित–

श्री रामावतार सैनी द्वितीय, वादी अभिभाषक।
श्री हंसराज कटारिया, प्रतिवादी नं. 1 अभिभाषक
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी नं. 2

वादपत्र बाबत उद्घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि वादी की खातेदारी आराजीयात काश्तकारी भूमि अवस्थित तन् ग्राम नांगल भीम पटवार हल्का हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 290 से 292, 297 से 299, 302, 304, 307, 308 कुल किता 10 कुल रकबा 3.9300 हैक्टर के वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में 1/10 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 व 1/10 हिस्सा की खातेदारी वादी के नाम है। जो सही दर्ज है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 257, 260 से 263 कुल किता 5 कुल रकबा 0.5300 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम नांगल भीम पटवार हल्का हांसपुर के 1/4 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 व हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.20 18:05:48 IST
Reason: SelfAttested

08/10/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

1/4 की खातेदारी वादी के नाम दर्ज है। जिसमें घासीराम पुत्र मुरलीराम गलत दर्ज है, जिसके स्थान पर घीसा दत्तक पुत्र सुरजा घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जाना है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 295/2, 296/2, 303, 305, 306 कुल किता 5 कुल रकबा 2.7900 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम नांगल भीम पटवार हल्का हांसपुर के 2/15 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 व हिस्सा 2/15 की खातेदारी वादी के नाम दर्ज है। जो सही है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 205 से 208, 265, 266, 267, 268, 270 कुल किता 9 कुल रकबा 3.48 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम नांगल भीम पटवार हल्का हांसपुर के 1/16 हिस्सा को खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 व हिस्सा 1/16 की खातेदारी वादी के नाम दर्ज है। जिसमें घासीराम पुत्र मुरलीराम गलत दर्ज है जिसके स्थान पर घीसा दत्तक पुत्र सुरजा घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जाना है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 294/2 कुल रकबा 0.9600 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम नांगल भीम पटवार हल्का हांसपुर के 1/10 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 व हिस्सा 1/10 की खातेदारी वादी के नाम दर्ज है। जो सही दर्ज है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 423 से 430 कुल किता 8 कुल रकबा 3.7300 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम नांगल भीम पटवार हल्का हांसपुर के 1/32 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 व हिस्सा 1/16 की खातेदारी वादी गोमाराम पुत्र मुरलीराम के नाम दर्ज है। जिसमें घासी पुत्र मुरलीराम गलत दर्ज है जिसके स्थान पर घीसा दत्तक पुत्र सुरजा घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जाना है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 623, 624 कुल किता 2 कुल रकबा 2.1600 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम नांगल भीम पटवार हल्का हांसपुर के 1/4 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 व हिस्सा 1/4 की खातेदारी वादी के नाम दर्ज है। जिसमें घासीराम पुत्र मुरलीराम गलत दर्ज है जिसके स्थान पर घीसा दत्तक पुत्र सुरजा घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जाना है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1253 से 1257, 1259 से 1263 कुल किता 10 कुल रकबा 8.1600 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम डेरावाली पटवार हल्का मउ के 1/16 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के दत्तक पिता मृत्तक सुरजा पुत्र लादूराम एंव हिस्सा 1/16 की खातेदारी वादी के नाम दर्ज है। उक्त भूमि में मृत्तक सुरजा पुत्र लादूराम के नाम दर्ज हिस्सा 1/16 की भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 काबिज काश्त चला आ रहा है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1247, 1248, 1249 कुल किता 3 कुल रकबा 5.2600 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम डेरावाली पटवार हल्का मउ के 1/49 हिस्सा की खातेदारी मृत्तक सुरजा पुत्र लादूराम के नाम दर्ज है। जिस पर वादी व प्रतिवादी संख्या -1 बहिस्सा बराबर-बराबर काबिज काश्त चले आ रहे है। वादी व प्रतिवादी [illegible] में एक ही परिवार खानदान से है। जो सजरा खानदान अनुसार [illegible] के अनुसार लादूराम के दो पुत्र मुरली व सुरजा उत्पन्न हुये [illegible] फौत था तथा मुरली के दो पुत्र संतान गोमाराम व घीसा उत्पन्न हुये तथा सुरजा [illegible] अपने भाई मुरली के पुत्र घीसा को

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.20 18:05:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) सत्यमेव जयते

08/10/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार गोद ले लिया था। प्रतिवादी संख्या 1 मृत्तक सुरजा का दत्तक पुत्र है। जिसके अनुसार कृषि भूमि मद संख्या 1, 3, 5 की खातेदारी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी घीसा दत्तक पुत्र सुरजा सही रूप से दर्ज है परन्तु कृषि भूमि वर्णित मद संख्या 2, 4, 6, 7 में प्रतिवादी संख्या–1 के नाम खातेदारी घासीराम पुत्र मुरलीराम गलत दर्ज है। जिसके स्थान पर घीसा दत्तक पुत्र सुरजा घोषित किया जाकर दुरूस्त करवाना चाहते है। कृषि भूमि मद संख्या 8 में मृत्तक सुरजा पुत्र लादू के नाम दर्ज हिस्सा 1/16 के स्थान पर खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है। कृषि भूमि मद संख्या 9 में मृत्तक सुरजा पुत्र लादू के नाम दर्ज हिस्सा 1/49 की भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 पारिवारिक सैटलमेंट के अनुसार बहिस्सा बराबर–बराबर काबिज काश्त चले आ रहे है। इसलिए उक्तानुसार भूमियों की खातेदारी वादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त भूमियों की खातेदारी दर्ज करवाने एंव दुरूस्त करवाने हेतु कहा तो पहले तो आश्वासन देता रहा परन्तु अब प्रतिवादी संख्या 1 के मन में बदनियति आ जाने से दिनांक 02.08.2018 को इन्कार हो गये। इसलिए दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। वकील वादी ने उक्त वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी में वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 को उक्तानुसार घासीराम पुत्र मुरलीराम के स्थान पर घीसा दत्तक पुत्र सुरजा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज किये जाने एंव ग्राम डेरावाली में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर कुल किता 10 कुल रकबा 8.16 हैक्टर में मृत्तक सुरजा पुत्र लादूराम के स्थान पर प्रतिवादी संख्या घीसा दत्तक पुत्र सुरजा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमि की खातेदारी से मृत्तक सुरजा का नाम हजफ किये जाने बाबत उक्त दावा बाबत उद्घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी नं. 1 की ओर से श्री हसंराज कटारिया एड0 ने उपस्थित होकर वादी के पक्ष में दिनांक 21.12.2018 को उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर तस्दीक कराया है। प्रतिवादी सं. 2 के हाजिर अदालत उपस्थित नही आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी के पक्ष में राजीनामा पेश कर दिये जाने तथा प्रतिवादी सं. 2 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से प्रकरण में प्रशासन गांवों के संग अभियान [illegible] के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत नांगल भीम में लोक अदालत की भावना [illegible] ही बहस सुनी जाने का निवेदन उपस्थित वादी व प्रतिवादी के द्वारा किया गया [illegible] उपस्थित वादी व प्रतिवादी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.20 18:05:48 IST
Reason: SelfAttested

08/10/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

1 की पहचान मौके पर उपस्थित श्री महेन्द्र कुमार, सरपंच ग्राम पंचायत नांगल भीम के द्वारा की गई एंव उपस्थित सरंपच ने भी वादपत्र में अंकित तथ्यों को सही होने की ताईद की ।

हमनें वादी अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमियॉ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता मृत्तक सुरजा पुत्र लादूराम के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 आपस में एक ही परिवार से होना प्रस्तुत सजरा खानदान से स्पष्ट होता है तथा मृत्तक लादूराम के वारिसान् पौत्रगण है। प्रतिवादी संख्या 1 घीसा बाल्यावस्था में ही सुरजाराम के नाऔलाद होने से सुरजा राम पुत्र लादूराम के गोद चले जाना प्रकट होता है। वादी गोमाराम व प्रतिवादी संख्या 1 घीसा दोनों मुरली पुत्र लादूराम के ही जायन्दा पुत्र होना स्पष्टः होता है। जिसमें सुरजा के नाऔलाद होने पर सुरजा के द्वारा अपने भाई मुरली के पुत्र घीसा को सामाजिक रीति रिवाज से गोद लेना प्रकट होता है। अस प्रकार उक्त वादग्रस्त भूमियॉ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की पैत्रक भूमियॉ होना प्रतित होती है। जिसमें प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमियों में दर्ज घासीराम पुत्र मुरलीराम के स्थान पर घीसा दत्तक पुत्र सुरजा घोषित किया जाना एंव उक्त भूमियों से मृत्तक सुरजा पुत्र लादूराम का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। उक्त वादग्रस्त भूमियॉ पक्षकारान् की पैत्रक भूमियॉ होना सिद्ध होता है। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से भी यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान अपने मध्य हुए बाहमी बंटवारे अनुसार अपने अपने हक हिस्से में दर्ज खातेदारी भूमियों की घोषणा करवाने के अधिकारी है। जिस बाबत पक्षकारान् वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर वादपत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए राजीनामा भी पेश कर तस्दीक कराया है। जिससे भी वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में अंकित तथ्यों को बल मिलता है।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर सत्यमेव जयते

अतः ऐसी स्थिति में वादी की खातेदारी आराजीयात काश्तकारी भूमि अवस्थित तन् ग्राम नांगल भीम पटवार हल्का हासंपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 257, 260 से 263 कुल किता 5 कुल रकबा 2.0300 हैक्टर के 1/4 हिस्सा में दर्ज घासीराम पुत्र मुरलीराम के स्थान पर घीसा दत्तक पुत्र सुरजा हिस्सा 1/4 घोषित किये जाना तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 205 से 208, 265, 266, 267, 268, 270 कुल किता 9 कुल रकबा 3.48 हैक्टर के हिस्सा 1/16 [illegible]सीराम पुत्र मुरलीराम के स्थान पर घीसा दत्तक पुत्र सुरजा हिस्सा 1/16 घोषित किये जाने तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 423 से 430 कुल किता 8 कुल रकबा 3.7300 हैक्टर के हिस्सा 1/32 में दर्ज घासी पुत्र मुरलीराम के स्थान पर घीसा दत्तक पुत्र सुरजा हिस्सा 1/32 घोषित किये जांने तथा कृषि भूमि खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.20 18:05:48 IST
Reason: SelfAttested

08/10/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

नम्बर 623, 624 कुल किता 2 कुल रकबा 2.1600 हैक्टर के हिस्सा 1/4 में दर्ज घासीराम पुत्र मुरलीराम के स्थान पर घीसा दत्तक पुत्र सुरजा का नाम घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना व तन् ग्राम डेरावाली पटवार हल्का मउ के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1253 से 1257, 1259 से 1263 कुल किता 10 कुल रकबा 8.1600 हैक्टर में दर्ज मृत्तक सुरजा पुत्र लादूराम के नाम दर्ज हिस्सा 1/16 के स्थान पर प्रतिवादी सं. 1 घीसा दत्तक पुत्र सुरजा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खातेदारी भूमि से मृत्तक सुरजा का नाम हजफ किया जाकर खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1247, 1248, 1249 कुल किता 3 कुल रकबा 5.2600 हैक्टर में मृत्तक सुरजा पुत्र लादूराम के नाम दर्ज हिस्सा 1/49 की खातेदारी से मृत्तक सुरजा का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बहिस्सा बराबर–बराबर दर्ज किया जाकर उक्तानुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् उद्‌घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को लोक अदालत की भावना से स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि तन् ग्राम नांगल भीम पटवार हल्का हासंपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 257, 260 से 263 कुल किता 5 कुल रकबा 2.0300 हैक्टर के 1/4 हिस्सा में दर्ज घासीराम पुत्र मुरलीराम के स्थान पर घीसा दत्तक पुत्र सुरजा हिस्सा 1/4 तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 205 से 208, 265, 266, 267, 268, 270 कुल किता 9 कुल रकबा 3.48 हैक्टर के हिस्सा 1/16 में दर्ज घासीराम पुत्र मुरलीराम के स्थान पर घीसा दत्तक पुत्र सुरजा हिस्सा 1/16 एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 423 से 430 कुल किता 8 कुल रकबा 3.7300 हैक्टर के हिस्सा 1/32 में दर्ज घासी पुत्र मुरलीराम के स्थान पर घीसा दत्तक पुत्र सुरजा हिस्सा 1/32 तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 623, 624 कुल किता 2 कुल रकबा 2.1600 हैक्टर के हिस्सा 1/4 में दर्ज घासीराम पुत्र मुरलीराम के स्थान पर घीसा दत्तक पुत्र सुरजा का नाम घोषित किया जाकर राजस्व [illegible] किये जाने की स्वीकृति दी जाती है तथा इसी प्रकार तन् ग्राम डेरावाली [illegible] हल्का मउ तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1253 से 1257, 1259 से 1263 कुल [illegible] 10 कुल रकबा 8.1600 हैक्टर में दर्ज मृत्तक सुरजा पुत्र लादूराम के नाम दर्ज हिस्सा 1/16 के स्थान पर प्रतिवादी सं. 1 घीसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.20 18:05.48 IST
Reason: SelfAttested

08/10/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दत्तक पुत्र सुरजा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त खातेदारी भूमि से मृत्तक सुरजा का नाम हजफ किया जाकर खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1247, 1248, 1249 कुल किता 3 कुल रकबा 5.2600 हैक्टर में मृत्तक सुरजा पुत्र लादूराम के नाम दर्ज हिस्सा 1/49 की खातेदारी से मृत्तक सुरजा का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बहिस्सा बराबर–बराबर दर्ज की जाकर उक्तानुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Rathore 08/10/21

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः– नांगल भीम

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 08.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत ग्राम पंचायतः– नागंल भीम में आयोजित शिविर के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

Rathore 08/10/21

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः– नांगल भीम

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.20 18:05:48 IST
Reason: SelfAttested